

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2011—कार्तिक 27, शक 1933

## भाग ४

विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)

### मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. 6634-इक्कीस-अ(प्रा.)-शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 12 अगस्त 2011 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द पढ़ा जाए :—

#### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है (2)		शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाये (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
राष्ट्रपति President	774	4	राज्यपाल Governor
	774	5	

राजेश यादव, अपर सचिव.

## भाग ४ ( ग )

### अन्तिम नियम

#### पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. एफ. 8-1-11-चौवन-2.—राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण में संलग्न सामाजिक संस्था एवं इस वर्ग के व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहीद अशाफाक उल्लाह खां, केप्टन हमीद खां एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक राज्य योजना पुरस्कार योजना, 2011 निम्नानुसार लागू करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

**प्रस्तावना एवं उद्देश्य.**—प्रदेश में निवासरत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इस पुनीत कार्य में निजी व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं की वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन प्रदेश के निवासियों को समाज सेवा, वीरता एवं शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 3 पुरस्कार देगा.

(2) इन पुरस्कारों के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं. ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में शासन द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से प्रभावशील होंगे :—

1. **पुरस्कार का नाम.**—1. **शहीद अशाफाक उल्लाह खां**—अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए.

2. **केप्टन हमीद खां**—राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सदभाव बढ़ाने, वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए.

3. **मौलाना अबुल कलाम आजाद**—साहित्य कला, रंगकर्मि एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु.

2. (अ) “अल्पसंख्यक वर्ग” से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित अल्पसंख्यक वर्ग से है. जैसे मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय से है.

(ब) “मध्यप्रदेश के निवासियों” से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है.

(स) “जूरी” से अभिप्राय इन नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत गठित निर्णायक मंडल से है.

3. **पुरस्कारों का स्वरूप.**—शहीद अशाफाक उल्ला खां अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार, केप्टन हमीद खां वीरता राज्य पुरस्कार एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा एवं सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार प्रत्येक को रुपये एक लाख नगद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका के रूप में दिया जावेगा, पुरस्कार राज्य के निवासी तथा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में उत्कृष्ट कार्य/वीरता/सेवा करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के समाज सेवकों को हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जावेगा.

4. **जूरी का गठन.**—राज्य शासन समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश से विभिन्न कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों में से प्रतिष्ठित समाज सेवी, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों की जूरी (निर्णायक मण्डल) का गठन करेगा.

**जूरी की संरचना.—**

1. माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग—अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग—सदस्य सचिव
3. तीन विशेषज्ञ—सदस्य.

(अलग-अलग विधाओं के तीन विशेषज्ञ जो माननीय मंत्रीजी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की अनुशंसा से समन्वय में प्रतिवर्ष नामांकित किये जायेंगे). जूरी का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा.

**5. जूरी की शक्तियां :—**

- 5.1 जूरी प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए अलग-अलग गठित की जावेगी.
- 5.2 जूरी के द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा.
- 5.3 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.
- 5.4 संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगी, जिन्हें पुरस्कारों के उद्देश्य के अनुरूप पाये.
- 5.5 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये तीन व्यक्तियों का चयन होगा जिनमें एक महिला समाजसेवी का चयन अनिवार्य होगा.
- 5.6 जूरी की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.
- 5.7 जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा. जूरी के सदस्य को वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा.

**6. चयन की प्रक्रिया :—पुरस्कारों के लिये उपयुक्त समाजसेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—**

- 6.1 जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा मई माह में प्रमुख दैनिक राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में राज्य शासन (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) की ओर से परिशिष्ट में दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये कम से कम एक महीने का समय दिया जावेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेगी. परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.
- 6.2 प्रविष्टि समाजसेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनके सेवाकाल से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे :—
  - (क) सामाजिक कार्यकर्ता का पूर्ण परिचय
  - (ख) निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिये उनके द्वारा किये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी
  - (ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण
  - (घ) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि.

(ड) समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटोप्रतियां/सत्यप्रतिलिपियां.

(च) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित समाजसेवक की सहमति

6.3 चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा और कोई शर्तें लागू नहीं होंगी.

6.4 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टि केवल एक वर्ष के लिये ही मान्य होगी. चयन न होने की दशा में यदि आवेदक चाहे तो अगले वर्ष पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकता है.

6.5 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्पूर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

6.6 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों, प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य शासन को अधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा.

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा :—

पंजीयन क्रमांक (1)	समाजसेवी का नाम तथा पता (2)	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता (3)	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या (4)	अन्य विवरण (5)
-----------------------	--------------------------------	---	--	-------------------

8. पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम एक माह की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी :—

- 8.1 समाजसेवी का नाम तथा पता
- 8.2 प्रस्तावक
- 8.3 समाजसेवी का संक्षिप्त परिचय
- 8.4 सेवाकार्य की उपलब्धियां
- 8.5 प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
- 8.6 प्रमाण-सम्मितियां
- 8.7 रचनाएं/प्रकाशन
- 8.8 अत्म कथ्य (यदि कोई हो)
- 8.9 पुरस्कार ग्रहण करने बाबत सहमति

9. चयन के मापदण्ड.—पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट समाजसेवी/सेवियों के चयन हेतु निम्न मापदण्ड रहेंगे :—

- 9.1 पुरस्कारों के लिये जूरी द्वारा ऐसे नागरिकों का चयन किया जावेगा, जो मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हों एवं मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग/समुदाय की सेवा की हो.

- 9.2 जूरी के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष पुरस्कार की जूरी के वे सदस्य हैं.
- 9.3 समाजसेवी के संबंध में इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी भी मध्यप्रदेश शहीद असफाक उल्ला खां अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.
- 9.4 शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय वेतनभोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.
- 9.5 सेवाकार्य मध्यप्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की सेवा से ही संबंधित होना चाहिए.
- 9.6 पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवाकार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाजसेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है.
- 9.7 समाजसेवी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग/समुदाय की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेगा. सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.
- 9.8 पुरस्कार चूँकि समाजसेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवाकार्य में ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए.
- 9.9 सेवा के क्षेत्र में समाजसेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.
- 9.10 परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार (.....) अर्थात् नई पद्धति, नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

10. **पुरस्कारों की घोषणा.**—जूरी द्वारा जिन समाजसेवियों का चयन होगा, उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाजसेवी/सेवियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

11. **अलंकरण समारोह.**—पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के सम्मान स्वरूप जो दिनांक/तिथि राज्य शासन नियत करे उस दिनांक/तिथि को आयोजित होगा. जिसमें भाग लेने के लिये चयनित समाजसेवियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी. लेकिन उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. समाजसेवी को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता रेल से अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी ग्रेड-ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

12. **व्यय की सक्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियाँ.**—मध्यप्रदेश शहीद असफाक उल्ला खां अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश को होंगे. इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

13. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकारी भी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वेष्टित होंगे.

14. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव.**—आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष के पुरस्कारों की प्रविष्टियों, चयनित समाजसेवियों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिये अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित समाजसेवियों के जीवन चरित्र, सेवाकार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी, जिसमें अल्पसंख्यक समाजसेवा पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

**परिवहन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

एफ-22-56-07-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-4, दिनांक 18 जून 2010 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

**संशोधन**

उक्त नियमों में, नियम 247 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

**“सारणी**

अधिकारी (1)	अधिनियम की धाराएं (2)
1. परिवहन आयुक्त	धारा 114 (1), 130 (1), 130 (2), 130 (3), 132 (1), 133,
2. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त	134 (ख) 136, 158 (1), 158 (2), 158 (3), 158(4), 202,
3. समस्त उप परिवहन आयुक्त	206 तथा 207.”.
4. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त	
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
6. अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
7. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	
8. परिवहन निरीक्षक	
9. परिवहन उप निरीक्षक	
10. सहायक परिवहन उप निरीक्षक	

**टिप्पण.**—कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट समस्त अधिकारी कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त धाराओं के अधीन विहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

F-22-56-07-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-IV dated 18th June, 2010 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

**AMENDMENT**

In the said rules, in rule 247, for the existing table, the following table shall be substituted, namely:—

**“TABLE**

Officers (1)	Sections of the Act (2)
1. Transport Commissioner	Section 114 (1), 130 (1), 130 (2), 130 (3), 132 (1),
2. Additional Transport Commissioner	133, 134 (b) 136, 158 (1), 158 (2), 158 (3), 158(4),
3. All Deputy Transport Commissioners	202, 206 and 207.”.
4. All Assistant Transport Commissioners	
5. Regional Transport Officers	
6. Additional Regional Transport Officers	
7. Assistant Regional Transport Officers	
8. Transport Inspectors	
9. Transport Sub-Inspectors	
10. Assistant Transport Sub-Inspectors	

**Note.**—All officers specified in column (1) shall exercise all the powers prescribed under all Section mentioned in column (2).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.**